

भारत के राजपत्र के भाग 11, खण्ड 3 [11] में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13.9.51

अधिसूचना  
[आय - कर]

सं० 5977 [फा०सं० 176/42/84-आ०क०/नि०-1] : आयकर अधिनियम, 1961 [1961 का 43] की धारा 80-छ की उपधारा [2][ख] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "दि सुब्रह्मण्य टेम्पल, परिहार पुरम, रामनादुपारा [केरल] को समस्त केरल राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

[ आर०के० तिवारी ]  
वर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,  
भारत सरकार प्रेस,  
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,  
[राजोरी गार्डन के पास], नई दिल्ली :

/ रमा /